

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

सार्वजनिक सूचना सं० 07 / 2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक 04 मई, 2016

विषय: भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एमईआईएस)- परिशिष्ट 3 ड. अधिसूचित।

समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा परिशिष्ट 3ड. को इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के रूप में अधिसूचित करते हैं।

2. यह सार्वजनिक सूचना प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगी।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** ऐसी सेवाओं- जिसमें अदायगी भारतीय रूपयों में प्राप्त हुई है, को विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.08 (ग) की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य विदेशी मुद्रा में प्राप्त माना जा सकता है, की सूची को अधिसूचित किया जाता है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेल: dgft@nic.in

(फा०सं० 01 / 61 / 180 / 75 / एएम 16 / पीसी-3)

परिशिष्ट 3 ड.(कृपया विदेश व्यापार नीति और दिनांक 01.04.2015 की सार्वजनिक सूचना सं० 3 के पैरा 3.08 (ग) को पढ़ें)

नीचे सूचीबद्ध किए गए भुगतान जिसे किसी विदेशी जहाज को भारत में इसके एजेंटों के माध्यम से सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में दी गई सेवाओं सहित दी गई सेवाओं के लिए विदेशी मूलधन को दी जाने वाली राशि या विदेशी क्रेता द्वारा भेजे जाने वाली रकम में से, विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है (अथवा नाविकों सहित किराए के पोत में शामिल सेवाओं के मामले में विदेशी कंपनी द्वारा अधिप्राप्त) या जिसे अन्यथा विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाना था किन्तु भारतीय रुपयों में भुगतान किया गया, को विदेशी मुद्रा में अर्जित माना जाएगा तथा भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम के तहत प्रतिफल प्राप्त करने का पात्र माना जाएगा।

तथापि तटीय और अंतर्देशीय जहाज के लिए 'जहाज संबंधी प्रभार' के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं और तटीय माल, तटीय कन्टेनर और तटीय खाली कन्टेनर के संबंध में 'माल संबंधी प्रभार' की गणना नहीं की जाएगी।

	यातायात सेवाएं
क.	समुद्री यातायात सेवाएं
ग.	नाविकों सहित किराए के पोत
	(I) समय चार्टर/जलयान चार्टर/बेयर बोट चार्टर सेवाएं
	(II) आफशोर सपोर्ट पोत सेवाएं
घ	जहाजों का रखरखाव और मरम्मत
	जहाज की मरम्मत हेतु सेवा प्रदायक द्वारा जहाजों की मरम्मत, शुष्क गोदी रखरखाव के लिए प्रदान की गई सेवाएं।
ड.	पुशिंग और टोईंग सेवाएं
	(i) विमान संचालन संबंधी सेवाएं
	(ii) जहाजों का स्थानांतरण
	(iii) वार्षिक सेवाएं
	(iv) पायलट को रोकने का शुल्क
	(v) टोईंग सेवाएं
	(vi) कोल्ड मूवमेंट सेवाएं
	(vii) एकल बिन्दु लंगर (एसपीएम) कार्यकलाप के लिए पुलबैक टग सेवाएं
	(viii) कर्षण नौका सेवाएं
	(ix) पायलट रद्दीकरण शुल्क

च.	समुद्रीय परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
	(i) जहाजों की प्रविष्टि के लिए पत्तन देय राशि
	(ii) जहाजों को पानी/ताजे पानी की आपूर्ति के लिए शुल्क
	(iii) बर्थ हायर सेवाएं
	(iv) बंदरगाह पर जहाजों के ठहरने के लिए लंगरगाह सेवाएं
	(v) पायलट और अन्य क्रू को तट से लाने ले जाने, आपूर्ति जहाज भण्डारण आदि की विविध सेवाओं के लिए कृषण नौका को लेना।
	(vi) विशेष कार्यों के लिए बड़ी नौका को किराए पर लेना
	(vii) फॉयर फ्लोट/फायर टेंडर की किराए पर लेना
	(viii) गोता संबंधी सेवाओं को किराए पर लेना
	(ix) सॉस के आघात से बचाव प्रदान करने के लिए सेवाएं (गोदी/तेल घाटों/नाव घाटों/आईडब्ल्यू ए आई घाट/किसी अन्य घाट अथवा लंगर पॉइंट से अथवा तक परिवहन के आघात से बचाव करने सहित)
	(x) समुद्री सेवाओं के लिए कुशल जनशक्ति की आपूर्ति
	(xi) एसपीएम पर पायलट परिचारक सेवाएं
	(xii) रीफर कंटेनर प्रभार
	(xiii) भंडारण सेवाएं, शटआउट प्रभार
	(xiv) टर्मिनल हैडलिंग सेवाएं
	(xv) जहाजीकुली सेवाएं
	(xvi) माल प्रेषण सेवाएं
	(xvii) माल भंडारण सेवाएं
	(xviii) बंकर आपूर्ति सेवाएं
	(xix) कचरा संग्रहण सेवाएं
	(xx) स्लोप संग्रहण/निपटान सेवाएं
	(xxi) टंकी धोने की सेवाएं
	(xxii) आंतरिक परिवहन सेवाएं
	(xxiii) भंडारण सेवाएं
	(xxiv) अंतर-कार्टिंग सेवाएं
	(xxv) पैकिंग सेवाएं
	(xxvi) सर्वेक्षण और निरीक्षण सेवाएं
	(xxvii) नाव प्रभार
	(xxviii) जहाज हैडलिंग सेवाएं
	(xxix) शोर क्रैन हायर सेवाएं
	(xxx) उपकरण किराया सेवाएं अर्थात फोर्कलिफ्ट, खोदक मशीन, पेलोडर, रिच स्टेकर, एम्टी हैडलर, हाइड्रॉ स्क्रीनिंग नेट, गैंगवे, ग्रैब, हाइड्रॉ क्रैन, जेनरेटर, ऊर्जा आपूर्ति आदि
	(xxxi) गैंगवे किराया सेवाएं

(xxxii)	सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा सेवाएं
(xxxiii)	निर्यात कार्गो के लिए माल समेकन प्रभार
(xxxiv)	प्रेषण सेवाएं
(xxxv)	अन्यत्र विनिर्दिष्ट न की हुई हैडलिंग सेवाएं
(xxxvi)	पादप सेवाएं
(xxxvii)	माल नौका प्रभार
(xxxviii)	गैस मुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र का प्रभार
(xL)	वैगन हैडलिंग सेवाएं
(xLi)	ग्रेब परिवहन सेवाएं
(xLii)	हॉट वर्क परमिट सेवाएं
(xLiii)	रिफ्लोटिंग सेवाएं
(xLiv)	माल निर्यात के लिए माल दलाली सेवाएं

(फा0सं0 01/61/180/75/एएम 16/पीसी-3)